गुलभाई वल्लभाई देसाई वगैरा

बनाम

भारत संघ और अन्य

27 सितंबर, 1966

(के. सुब्बा राव, मुख्य न्यायाधिपति, एम. हिदायतुल्ला, एस. एम. सिकरी, वी. रामास्वामी और जे. एम. शेलट, न्यायाधिपतिगण)

दमन (गाँवों के स्वामित्व का उन्मूलन) विनियम (1962 का 7) और भारत का संविधान, 1950, अनुच्छेद 31 अ -विनियमन, यदि संवैधानिक मान्य हो।

1962 में पुर्तगालियों के हाथों से भारत से संबंधित क्षेत्रों के विलय के बाद, भारत के राष्ट्रपति ने दमन जिले में गाँवों के स्वामित्व को समाप्त करने के लिए दमन (गाँवों के स्वामित्व का उन्मूलन) विनियम, 1962 को लागू किया। पाँच याचिकाकर्ताओं ने, जो पांच गाँवों के भूमि के स्वामित्वधारी थे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 31 की वैधता को चुनौती दी। जबकि भारत संघ ने तर्क दिया कि विनियमन अनुच्छेद 31 अ द्वारा संरक्षित था।

अभिनिर्धारित याचिकाकर्ताओं की भूमि के उन हिस्सों के सम्बन्ध में जो कृषि या बागवानी उद्देश्यों के लिए समर्पित थी, उन स्वामित्व को समाप्त करते हुए और विनियमन उन पर लागू किया, क्योंकि अनुच्छेद 31 अ(2)क(पपप) के तहत वो जागीर की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, जो इस विनियमन के तहत मुआवजे के भुगतान के अधीन हिस्से सरकार में निहित हैं। जहाँ तक उन हिस्सों का संबंध है जो पहाड़ी भूमि, नमक मैदान व नमक भूमि, खदानें या नगरपालिका क्षेत्र के भीतर की भूमि हैं, जो विनियमन के तहत सरकार में निहित नहीं है और न ही अनुच्छेद 31 अ(2) के द्वारा बेदखली से उनको संरक्षण नहीं देता है। यदि अधिगृहण की जाती है तो विनियमन में दिए गये विचारों के आधार पर मुआवजा का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। (605 ई; 616 ए-सी, एफ-जी; 617 ई)

यह विनियमन कृषि सुधार से संबंधित है। इसका सामान्य योजना के अनुसरण करते हुए बिचोलियों को अन्य सुधार अधिनियमों में समाप्त किया गया लेकिन अनुच्छेद 31 अ नियमन द्वारा समाप्त किये गये ब्याज को "संपदा" की लंबित परिभाषा के भीतर आना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 31 अ(2) संविधान के (17 वां संशोधन) अधिनियम द्वारा अंतःस्थापित किया। चूंकि दमन जिले में पहले से लागू किसी भी पुर्तगाली कानून में नहीं किया गया है, विनियमन द्वारा जब्त की गई भूमि और उनमें निहित हितों को संपत्ति के रूप में संदर्भित नहीं किया जा सकता है। उन्हें भारतीय

राजस्व कानून के तहत "संपदा" के समकक्ष के रूप में भी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि भारतीय कानून के तहत एक "संपदा" होने के लिए ऐसी भूमि होनी चाहिए जो भू-राजस्व का भुगतान करती है और जो भूमि इससे सम्बन्धित कानून के अनुसार रखी गयी हो। लेकिन जिले की सभी भूमि राज्य की थी, इसलिए पुर्तगाली कानून ने भूमि के साथ केवल तीन प्रकार के व्यवहार पर विचार कियाः (क) स्थायी पट्टा का अनुदान, (ख) अवधि पट्टा का अनुदान, और (ग) बिक्री; लेकिन न तो कोई कार्यकाल और न ही भूमि राजस्व का भुगतान था। दमन जिले में जिन शर्तों पर जमीनें रखी गई थीं, उन्हें कार्यकाल को दर्शाने वाली शर्त नहीं कहा जा सकता था। सरकार को भुगतान या तो किराया या भूमि से अनुमानित आय का एक प्रतिशत था। धारक एक प्रकार का आय-कर का भुगतान कर रहे थे, जो भारतीय कानून के तहत कृषि के समान आय-कर से मिलता-जुलता था। भले ही इसे भू-राजस्व माना जाए, लेकिन भूमि सम्बन्धी का कोई कानून नहीं था, क्योंकि सभी संपत्ति, शहरी या कृषि, समान रूप से या पट्टे पर या उन व्यक्तियों द्वारा आयोजित की जाती थी जो खरीद द्वारा मालिक थे। (604 एफ-जी; 607 ई-जी; 610 एच; 612 ए-ई)

जहां तक तीन संस्थाओं ने "संपदा" के संबंध में जो परिभाषा भी है जो अनुच्छेद 31 अ(2)अ खंड(पप) में भूमि पर लागू नहीं होता हैं, क्योंकि दमन जिले में कोई रैयतवाड़ी समझौता या कार्यकाल नहीं था। खंड (प)

जिसमें कोई जागीर, इनाम या मुआफी या इसी तरह के अन्य अनुदान का उल्लेख है, एक गाँव पर लागू हो सकता है जो एक अरबी घोड़े के रखरखाव के लिए दिया गया था, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं था कि गाँव रियायती शर्तों पर निर्धारित किया गया था। खंड (पपप) जिसमें कृषि के उद्देश्य से या उसके सहायक उद्देश्यों के लिए धारित या पट्टे पर दी गई कोई भी भूमि, जिसमें बंजर भूमि, वन भूमि, चारागाह के लिए भूमि या भवनों के स्थल और अन्य संरचनाएं शामिल हैं, जो भूमि के किसानों, कृषि मजदूरों और ग्राम कारीगरों द्वारा कब्जा कर ली गई हैं, हालांकि, सभी क्षेत्रों में अधिकांश भूमि पर लागू होती है। लेकिन गाँवों के कुछ हिस्सों में नमक के मैदान, बजरी के गड्ढे, खदानें और पहाड़ियाँ शामिल हैं और भूमि के ऐसे हिस्सों में याचिकाकर्ताओं के संपत्ति अधिकार भी समाप्त कर दिए गए थे। विनियमन का 3, क्योंकि विनियमन में भूमि की परिभाषा में भूमि की सभी श्रेणियां शामिल हैं। इस प्रकार, विनियमन में "भूमि" की परिभाषा अनुच्छेद में "संपत्ति" की परिभाषा से भिन्न है और अनुच्छेद द्वारा पूरी तरह से संरक्षित नहीं है। अनुच्छेद में "संपत्ति" की परिभाषा के अनुसार परिभाषा की व्याख्या करके संरक्षण दिया जाना इस सिद्धांत पर नहीं किया जा सकता है कि एक कानून केवल अपनी शक्तियों के भीतर कार्य करता है, क्योंकि, विनियमन 1962 में बनाया गया था, जबकि अनुच्छेद 31-अ को अपने वर्तमान रूप में 1964 में पेश किया गया था, हालांकि फिर भी

संदर्भित उसमें किया गया था। भारत के राष्ट्रपति, जब उन्होंने 1962 में विनियमन बनाया था, यह नहीं कहा जा सकता था कि वे अनुच्छेद में "संपत्ति" की परिभाषा के अनुरूप इसे बनाने की अपनी शक्ति की सीमाओं से अवगत थे। अनुच्छेद 31-अ बाद में पेश किया गया। हालाँकि, विनियमन अभी भी काम करेगा, क्योंकि "भूमि" की परिभाषा अलग करने योग्य है और अनुच्छेद 31-अ गांवों में भूमि के उन हिस्सों तक सीमित किया जाएगा जो अनुच्छेद 31-अ(2)(अ)(iii) में "संपत्ति" की परिभाषा के भीतर आते हैं। (605 बी-सी; 612 एफः 613 डी-ई, एच; 615 एफ-एच)

हिदायतुल्ला, न्यायाधिपति यह निर्णय रिट याचिका संख्या 148 , 149 , 233 और 238/1962 और 216/1963 का निस्तारण करेगा। वे दमन (उन्मूलन) की वैधता के बारे में एक सामान्य प्रश्न उठाते हैं। जो गाँवों के स्वामित्व का विनियमन, 1962 (1962 की संख्या का टप्प्) को हम इस विनियमन को "विनियमन" के रूप में संदर्भित करेंगे।

संविधान (बारहवाँ संशोधन) अधिनियम, 1962 द्वारा संविधान की पहली अनुसूची को "केंद्र शासित प्रदेश" शीर्षक के तहत, एक नई प्रविष्टि 7 के बाद शामिल करके संशोधित किया गया था। प्रविष्टि जो इस प्रकार पढ़ी जाएगीः

"8 गोवा, दमन और दीव वे क्षेत्र जो दिसंबर, 1961 के बीसवें दिन से ठीक पहले गोवा, दमन और दीव में शामिल थे।"

इसी प्रकार, अनुच्छेद- 240 में जो राष्ट्रपति को केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने की शक्ति दी है, इसमें "गोवा, दमन और दीव"शब्द शामिल किये गये। इसके बाद भारत से सम्बन्धित उन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया गया जो पुर्तगालियों के हाथों में चले गये थे। 05 मार्च, 1962 को राष्ट्रपति ने गोवा, दमन और दीव(प्रशासन) अध्यादेश, 1962 को नियत दिन अर्थात् 20 दिसंबर, 1961 से लागू करने के लिए प्रख्यापित किया, में अन्य बातों के अलावा, इससे ठीक पहले लागू सभी कानूनों को जारी रखने का प्रावधान किया गया था। सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित या निरस्त होने तक गोवा, दमन और दीव या उसके किसी भी हिस्से में नियत दिन प्रकरण जब तक कि संशोधन के साथ या बिना संशोधन के कानूनों का विस्तार करने और अध्यादेश के अनुरूप आदेश द्वारा कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति भी केन्द्र सरकार को प्रदान की गयी थी।

इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये विनियम- अधिनियमित किया गया। विनियमन की सामान्य योजना भारत में मध्यस्थों को समाप्त करने वाले अन्य सुधार अधिनियमों का अनुसरण करती है। कुछ मामलों में

विनियमन दमन के पूर्व जिले में लागू कानूनों के मद्देनजर एक विशेष प्रावधान करती है। अब हम इन विशेष सुविधाओं का उल्लेख कर सकते हैं। इस विनियमन का उद्देश्य दमन जिले के गांवों के स्वामित्व को समाप्त करना है। यह "लागू तिथि" को उस तिथि के रूप में परिभाषित करती है जिस दिन यह लागू हुआ और "भूमि" का अर्थ है "भूमि की प्रत्येक श्रेणी" और श्रेणी" इसमें (प) ऐसी भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, और (पप) धरती के लिए जुड़ी हुई चीजें शामिल हैं। इसमें "मालिक" को भी परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है "एक व्यक्ति के उपहार", बिक्री या अन्यथा के माध्यम से पूर्व पुर्तगाली सरकार द्वारा उसे या उसके किसी पूर्व-पूर्वज को दिये गये सिकी गांव या गांवों को अपने पास रखता है" और इसमें उसका सहहिस्सेदार शामिल है। खेती को कृषि या बागवानी के उद्देश्य के लिए भूमि के उपयोग के रूप में परिभाषित किया गया है। यह "व्यक्तिगत रूप से खेती करना" वाक्यांश को "अपने स्वयं के खाते पर खेती करना" के रूप में परिभाषित करता है, यह निर्दिष्ट करता है कि किसी व्यक्ति को कितने अलग-अलग तरीकों से ऐसा कहा जा सकता है, जो करते हैं और एक "खेतीदार किरायेदार"एक ऐसे व्यक्ति के रूप में है जो एक समझौते, अभिव्यक्त या निहित, के तहत व्यक्तिगत रूप से किसी अन्य की भूमि पर खेती करता है, और इसलिए नकद या वस्तु के रूप में किराया देता है या लाभ का एक हिस्सा प्राप्त करता है। धारा 3 के अनुसार, मालिकाना हक

प्रत्येक मालिक के उसके गांव या गांवों की सभी भूमि के सम्बन्ध में अधिकार, स्वामित्व और हित समाप्त कर दिये गये और सरकार में निहित कर दिये गये, किसी भी अनुबंध, अनुदान या दस्तावेज या उस समय लागू किसी भी कानून से सभी बाधाओं आदि के विरुद्ध होने से मुक्त कर दिया गया। इसके बावजूद धारा 4 हालांकि अन्य प्रावधानों के अधीन, मालिक को उसके घर, इमारतों, संरचनाओं के साथ-साथ मालिक के कब्जे में उससे जुड़ी भूमि और उसकी व्यक्तिगत खेती के तहत भूमि, जो चारागाह है या नहीं, घास भूमि है या नहीं को भी बचाती है। 1 अप्रैल, 1954 के बाद किसी भी भूमि से बेदखल किये गये खेती करने वाले किरायेदारों को कब्जा बहाल कर दिया गया था, यदि मालिक 20 दिसम्बर, 1961 को व्यक्तिगत रूप से उन जमीनों पर खेती कर रहा था, बशर्ते कि इस सम्बन्ध में 31 दिसम्बर, 1962 को या उससे पहले एक आवेदन किया गया हो। नियत दिन के बाद सभी मालिक भूमि के कब्जेदार बन गये। खेती करने वाले किरायेदारों की भी यही स्थिति है। मुआवजा उन मालिकों को देय था जिनके अधिकार, शीर्षक और उनकी भूमि के सम्बन्ध में ब्याज सरकार में निहित थे और यह वार्षिक भुगतान का 20 गुना बताया गया था, जिसे मालिक 20 दिसंबर, 1961 से ठीक पहले का लाभ पूर्व पुर्तगाली सरकार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। विनियमन के अन्य प्रावधानों से हमें

देरी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे इन मूलभुत परिवर्तनों को प्रभावी बनाने के लिए मशीनरी तैयार करते हैं।

हम पांच याचिकाकर्ताओं से चिंतित है। 1962 की रिट याचिका 148 में याचिकाकर्ता ने नीलामी में पूरे रेगनुवारा गांव को 1930 में 50,051 रुपये में खरीदा। विक्रय पत्र में यह कहा गया था कि गांव को खेती के उद्देश्य से बेचा गया था। इसमें विनियमन के तहत नियुक्त तिथि पर, 320 एकड़ खेती योग्य भूमि (याचिकाकर्ता द्वारा 180 और उसके किरायेदारों द्वारा 140 खेती की गयी), 14 एकड़ सड़कें आदि, 91 एकड़ घास भूमि और 20 एकड़ सार्वजनिक चारागाह भूमि शामिल थी। वार्षिक भुगतान 342.66/- रु था और याचिकाकर्ता का दावा है कि उसकी आय 10,000/- रु. प्रति वर्ष थी। 1962 की रिट याचिका 149 में जो कि डंडोर्टा गांव उस याचिकाकर्ता के पूर्ववर्ती को दिया गया था। इसमें 1300 एकड़ भूमि है और वार्षिक भुगतान 1190/-रु है जो 532 वार्षिक भुगतान और 600 रु और किराये के रूप में विषम है। इसमें कुछ नमक भूमि और नमक क्षेत्र पहाड़ी भूमि और एक पत्थर की खदान शामिल है। 1962 की रिट याचिका 233 में ग्राम धोलेर धोनोली को सार्वजनिक नीलामी में 35,525/-रु में खरीदा था। इसमें 190 एकड़ भूमि है, जिसमें से 75 एकड़ धान की भूमि और 15 एकड़ उद्यान है। वार्षिक भुगतान 325/- रु बना था, जिसमें 232 वार्षिक अंशदान और 93/- रु किराया था। 1962 की रिट याचिका 238 में वरकुंडा गांव पर

दो भाइयों का कब्जा है। भूमि का क्षेत्रफल 360 एकड़ है, जिसमें से 140 एकड़ खेती के अधीन है, 100 एकड़ नमक भूमि और मैदान है, 30 एकड़ पहाड़ियां और खदानें हैं, 50 एकड़ आबादी है, 30 एकड़ बबूल के पेड़ों से ढका हुआ है और 140 एकड़ किरायेदारों के पास है। वार्षिक भुगतान 1988.68 रु और सालाना आय 9000/-रु बतायी गयी है। 1963 की रिट याचिका 216 कैटरिया मोरे गांव से सम्बन्धित है, जिसे 1876 में पाठा नाम के एक व्यक्ति को बेच दिया गया था, जिसने अपनी बारी में उसी वर्ष इसे कोवासजी नामक एक व्यक्ति को बेच दिया था। तब से यह वर्तमान याचिकाकर्ता को उत्तराधिकार में पारित हो गया है। क्षेत्रफल 963 एकड़ है, जिसमें से 863 एकड़ पर खेती होती है और 100 एकड़ दमन नगरपालिका में शामिल है। वार्षिक भुगतान 1221.50/- रु है।

याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 14, 19, और 31 के तहत विनियमन को चुनौती दी है। उन आधारों को निर्दिष्ट करना शायद ही आवश्यक है, जिन पर चुनौती आगे बढ़ती है क्योंकि केन्द्र सरकार का दावा है कि विनियमन अनुच्छेद द्वारा संरक्षित है। संविधान के अनुच्छेद 31अ जैसा कि सर्वविदित है, उस लेख को पूर्वव्यापी प्रभाव से एक से अधिक बार संशोधित किया गया है और वर्तमान में यहां प्रासंगिक न होने वाले भागों को हटाने के बाद इस प्रकार पढ़ा जाता है।

"31-अ सम्पदा आदि के अधिगृहण के लिए प्रावधान करने वाले कानूनों की बचत।

(1) अनुच्छेद 13 में किसी बात के होते हुए भी, कोई कानून इसका प्रावधान नहीं करता।

(अ) राज्य द्वारा किसी संपति या उसके किसी भी अधिकार का अधिगृहण या ऐसी किसी भी अधिकार का निष्कासन या संशोधन, या इस आधार पर शून्य माना जाएगा कि यह अनुच्छेद 14, 19 या 31 द्वारा प्रदत किसी भी अधिकार से असंगत है या छीनता है या कम कर देता है।

(2) किसी भी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में अभिव्यक्ति संपदा का वही अर्थ होगा जो उस क्षेत्र में लागू भूमि कार्यकाल से संबंधित मौजूदा कानून में उस अभिव्यक्ति या उसके स्थानीय समकक्ष का है और इसमें यह भी शामिल होगा-

(प) कोई जागीर, इनाम या मुआफी या अन्य समान अनुदान और मद्रास और केरल राज्यों में कोई जन्म अधिकार।

(पप) रैयतवाड़ी बंदोबस्त के तहत धारित कोई भी भूमि

(पपप) कृषि प्रयोजनों के लिए या उसके सहायक प्रयोजनों के लिए धारित या पट्टे पर दी गयी कोई भी भूमि, जिसमें बंजर भूमि, वन भूमि,

चारागाह के लिए भूमि या भूमि पर खेती करने वालों, खेतीहर मजदूरों और गांव के कारीगरों द्वारा कब्जा की गयी इमारतों और अन्य संरचनाओं के स्थान शामिल है।

(ब) किसी सम्पति के सम्बन्ध में अभिव्यक्ति अधिकार में मालिक, उप-मालिक, अधीन मालिक, किरायेदार, रैयत, अंडर रैयत या मध्यस्थ में निहित कोई अधिकार और किसी भी अधिकार या विशेषाधिकार शामिल होंगे भू राजस्व।

विद्वान महान्यायवादी का दावा है कि मालिकाना हित (ए) संपति या (बी) एक जागीर इनाम या मुआफी या अन्य सामान अनुदान या (सी) कृषि प्रयोजनों के लिए रखी गयी या पट्टे पर दी गयी भूमि संपदा की परिभाषा में संविधान में बतायी गयी भूमि सहित उसके सहायक उद्देश्य को विनियमन द्वारा समाप्त किया गया था। दूसरा पक्ष मुद्दे में शामिल होता है लेकिन मानता है कि यदि समाप्त किया गया लाभ "संपदा" की परिभाषा का उतर देता है तो अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत चुनौती विफल होने चाहिए। इसलिए हमें पहले इस पर विचार करना होगा कि क्या विनियमन द्वारा समाप्त किया गया ब्याज अनुच्छेद में "संपदा" की सारगर्भित परिभाषा के अंतर्गत आता है। संविधान के अनुच्छेद 31अ के लागू होने से संविधान का (17वां संशोधन) अधिनियम द्वारा डाला गया। आगे हमें इस पर विचार करना होगा कि क्या विनियमन कृषि सुधार का एक हिस्सा है। इस

न्यायालय द्वारा सार्वजनिक हित में कृषि सुधार को शामिल करने के लिए सम्पदा के उन्मूलन का औचित्य माना गया है।

यह निर्धारित करने के प्रयास में कि क्या दमन में लागू भूमि कार्यकाल के सम्बन्ध में मालिकाना हित को एक संपति या उसके समकक्ष माना जा सकता है। हमें 20 दिसंबर 1961 को दमन जिले में मौजूद राजस्व प्रशासनिक कानून की योजना में प्रवेश करना आवश्यक है। शब्द "संपदा" अ का उपयोग उस क्षेत्र के किसी भी कानून में नहीं किया गया है और यह जांच के एक अंग का निस्तारण करता है। हमें केवल यह देखना है कि क्या दमन में कोई अन्य कार्यकाल पुर्तगाली कानून के रूप में लागू था, जिसे इसके समकक्ष कहा जा सके। पहले के अवसर पर इस न्यायालय को उचित कानूनों और उनकी वास्तविक प्रकृति का पता लगाने में कुछ कठिनाई महसूस हुई और फरवरी, 1964 में दिये गये एक आदेश द्वारा, चैदह बिन्दुओं को न्यायिक आयुक्त, इस न्यायालय में विचारार्थ साक्ष्य हेतु गोवा को भेज दिया गया, जिन्हें विशेषज्ञों द्वारा जांच करानी थी और उनके रिकार्ड को आगे बढ़ाना था। इस प्रतिप्रेषण के बाद याचिकाकर्ता की ओर से दो और राज्य की ओर से दो गवाहों से पूछताछ की गयी। इन गवाहों ने अपने आधिकारिक अनुवादों के साथ कुछ पुर्तगाली विधायी अधिनियम भी प्रस्तुत किये और उन कानूनों की अपनी-अपनी व्याख्याएं दीं। उनके द्वारा की गयी व्याख्या विरोधाभाी है। हालांकि, हमने मौखिक गवाही पर भरोसा

करना आवश्यक नहीं समझा है क्योंकि हमारी राय में संबंधित कानूनों की जांच इसे अनावश्यक बना देती है।

केवल दो विधायी उपाय है जो प्रासंगिक है। पहला 1896 का विधान अधिनियम संख्या 1785 है जिसे 1958 के विधान अधिनियम संख्या 1791 द्वारा संशोधित किया गया था। इस अधिनियम को संपति योगदान विनियमन के रूप में जाना जाता है। अन्य विधायी अधिनियम पुर्तगाली नागरिक संहिता है जिसके केवल कुछ प्रासंगिक लेखों पर सुनवाई में विचार किया गया। संपति योगदान विनियमन को तीन शीर्षकों में विभाजित किया गया है, जिसमें उनके बीच 177 लेख है। पहला शीर्षक सामान्य रूप से संपति योगदान विनियमन का वर्णन करता है, दूसरा संपति योगदान विनियमन और तीसरा शहरी और देहाती संपति योगदान विनियमन का वर्णन करता है। इस विधायी अधिनियम के द्वारा अचल संपति की सभी आय, चाहे उसका तरीका कुछ भी हो (आकस्मिक आय सहित) जब तक कि छूट न दी गयी हो, वार्षिक भुगतान संपति योगदान विनियमन) के अधीन थी। संपति को उस राशि के लिए बंधक के अधीन माना जाता था जिसे राजस्व कार्यालय में समय पर भुगतान किया जाना था। अधिरोपण के उद्देश्य से संपतियों को तीन प्रकारों में विभाजित किया गया। (अ) बोनजाॅईंट (ब) शहरी और (स) देहाती। संपति योगदान विनियमन को लाभार्थियों या आय की प्रकृति की परवाह किये बिना अचल संपति से कृषि

निगमों (समुदायों) द्वारा प्राप्त सामान्य अनुमानित आय पर लगाया गया था। संयुक्त संपति से कर योग्य आय उचित रूप से किराये के रूप में या शिकार या मछली पकड़ने के लिए लाइसेंस शुल्क के रूप में, या कृषि और वन उपज की बिक्री से या खदानों, बजरी या चूना पत्थर के काम से प्राप्त की जा सकती है, लेकिन उन मामलों को छोड़कर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनमें खनन कर लगाया गया था, स्त्रोत क्या था। चूंकि हमारा सम्बन्ध न तो समुदाय से है और न ही उनके द्वारा प्राप्त संयुक्त संपति से। इसलिए हमें इस प्रकार की संपति का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। शहरी संपति योगदान इमारतों सहित निर्माण लाॅट से होने वाली सामान्य अनुमानित आय पर निर्भर करता है। आय की राशि मुख्य रूप से किराये के आधार पर मूल्यांकन द्वारा निर्धारित की जाती है। हालांकि, कृषि शोषण के लिए स्थित इमारतों को छूट दी गयी थी। लेकिन इसमें मिट्टी के दोहन के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किये गये निर्माण शामिल नहीं थे। देहाती योगदान देहाती संपतियों या उसके किसी अभिन्न अंग से सामान्य अनुमानित आय पर निर्भर है। यह आय भी मूल्यांकन द्वारा निर्धारित की जाती थी। अनुच्छेद 6 में वर्णन किया गया है कि किसे देहाती संपतियों के रूप में माना जाना चाहिये और निम्नानुसार प्रदान किया जाना चाहिएः-

"(अ) किसी भी खेती या वन स्त्रोत के लिए नियत भूमि, जिसमें मौजूदा घर के निर्माण भी शामिल हैं जो विशेष रूप से मजदूरों या कर्मचारियों और उपज, मवेशियों को आश्रय देने और कृषि उपकरण के लिए नियत है ।

(ब) पशुओं के रहने के स्थान के साथ या उसके बिना किसी भी मवेशी-प्रजनन स्त्रोत के लिए नियत भूमि और भवन निर्माण।

(स) खदान, बजरी या चूना पत्थर जैसे किसी भी स्त्रोत के लिए नियत भूमि, लेकिन मालिक द्वारा उनके लिए योगदान औद्योगिक भुगतान करने की स्थिति में नमक कार्यों को छोड़कर।

(द) खेल के मैदानों, बगीचों या किसी मनोरंजन के लिए दी गयी भूमि को अनुच्छेद 5 के खंड (डी) में निर्धारित के अनुसार, किसी घर के पास एक साधारण खाली मैदान या घर बनाने के लिए नियत भूमि के रूप में नहीं माना जाएगा।"

संपतियों की सोलह श्रेणियां थीं, जिन्हें छूट दी गयी थी, लेकिन चूंकि उनमें से कोई भी याचिकाकर्ता के गांवों को कवर नहीं करती है, इसलिए

उन्हें निर्दिष्ट करना आवश्यक नहीं है। संपतियां जो संयुक्त रूप से शहरी और देहाती थी, प्रत्येक स्त्रोत से प्राप्त आय के लिए कर के लिए उतरदायी थीं, लेकिन दोहरा कराधान नहीं लगाना था। पट्टे पर दी गयी संपतियों के मामले में पट्टेदार(जब तक कि राज्य पट्टादाता नहीं था) पर किराया की राशि से कर लगाया जाता था और पट्टेदार पर किराया से कम उसकी आय पर कर लगाया जाता था। 20 वर्ष से अधिक के पट्टे के मामले में संपति पर किराये की राशि पर कर लगाया जाता था और पट्टेदार पर किराये की राशि और कर योग्य आय के बीच के अंतर पर कर लगाया गया। अलग-अलग सूची बनाए रखी गयी और समग्र देहाती और शहरी संपतियों को दोनों सूची में शामिल किया गया, लेकिन केवल एक बार कर लगाया गया। ग्रामीण संपतियों के मूल्याकंन के लिए एक स्थायी समिति थी। रजिस्टरों का रखरखाव किया जाता था जिसमें संपति का नाम, स्थिति और क्षेत्र कर योग्य आय, किरायों और अन्य स्थायी शुल्क, वस्तु या धन में सकल आय, औसत उपज, व्यय का प्रतिशत, गैर खेती योग्य भूमि दर्ज थी और लंबी अवधि के किरायेदारों के नाम और पते और उनके द्वारा भुगतान किया गया किराया। करयोग्य आय का निर्धारण कृषि उपयोग, सहज उत्पाद और स्थायी लक्षण की परिस्थितियां, उसके अनुसार भूमि का वर्गीकरण करके किया जाता था। यहां तक कि बिखरे हुए पेड़ों से होने वाली आवधिक आय को भी ध्यान में रखा गया। इन वर्गीकरणों के उप-

विभाजन थे और प्रत्येक वर्ग या उप-वर्ग से आय की अनुसूची बनाये रखी गयी थी। खेती के लिए उपयोग नहीं की जाने वाली भूमि का मूल्यांकन उनकी सामान्य उत्पादकता के आधार पर किया गया था, जिसमें उत्पादन की मात्रा और गुणवता दोनों पर जोर दिया गया था, मानक "तरीका" भूखंडों और "तरीकों" पेड़ों से लिया गया था। यह वर्गीकरण एक समय में पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू रहता था। छूट के प्रावधान भी थे लेकिन किराया, जनगणना और पेंशन को रद्द या कम नहीं किया गया था। संयुक्त, शहरी और देहाती तीनों मामलों में संपदा योगदान वैश्विक प्रतिशत के अनुप्रयोग द्वारा गणना की गयी कुल आय का 12 प्रतिशत था।

संपदा योगदान विनियमन के लिए बहुत कुछ संदर्भित करने योग्य अन्य विधायी अधिनियम पुर्तगाली नागरिक संहिता में है। जैसा कि पहले ही कहा गया है, हमें उस संहिता के कुछ अनुच्छेदों के संदर्भ में दिया गया था। वे अनेकों प्रकार के पट्टों से रूबरू होते थे। इन पट्टों को एम्पराजामेंटो, अफोरामेंटो या एनफाइट्यूज के नाम से जाना जाता था और यह तब अस्तित्व में आया जब मालिक द्वारा उपयोग (डोमिनियो यूटिली) एक निश्चित पेंशन का भुगतान करने की शर्त पर दूसरे को दिया गया था, जिसे किराया या कैनन कहा जाता था, जो शाश्वत था लेकिन यदि कोई शब्द निर्दिष्ट किया गया था तो ये किरायेदारी (अरेंडामेंटा)े बन गया। 20 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए एम्प्राजामेंटो या सबएम्परेजामेमेटो (जैसा

भी मामला हो) रखने वाला एम्फाइटुटा या सबेम्फाइटा। मूल्य में किसी भी प्रशंसा (लाॅन्डेमियो) के साथ 20 गुना पेंशन का भुगतान करके "मोचन" प्राप्त कर सकता है, हालांकि फोरो को घटाकर। इसी तरह एक सबएम्फाइटुटा एम्फाइटुटा और हेड लीसर (सेनेहोरियो डायरेक्टो) के प्रभार को भुना सकता है। हेड लेसर को लाॅडेमियो के साथ किराया प्राप्त होता है, जिसे एम्फाइटुडा उसे भुगतान करने के लिए बाध्य होता है और एम्फाइटुटा को मुफ्त पेंशन का मूल्य प्राप्त होता है, जिसे वह देता है। मुखिया पट्टाकर्ता हकदार नहीं था। पराजोस (पट्टे) जो वंशानुगत जागीरी संपति थे, उन्हें तब तक भूखंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता था जब तक कि मुख्य पट्टेदार सहमत न हो। लेकिन उतराधिकारी अपने हिस्से के अनुसार आय को आपस में बांट सकते थे। यदि कोई उतराधिकारी यह नहीं चाहता था, तो पट्टा बेच दिया जाता और आय को समान रूप से विभाजित किया गया। यदि किसी पट्टे को वारिसों के बीच विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक एक अलग पट्टा बन जाता है और प्रत्येक को संबंधित मंच का भुगतान करना पड़ता है। इन सबके लिए मुख्य पट्टादाता की लिखित सहमति की आवश्यकता होती है अन्यथा मूल पट्टा जारी रहता है और प्रत्येक भाग पूरे मंच के लिए उतरदायी होता है। पहले पट्टे जीवन के लिए या दो या तीन जीवन के लिए थे, संहिता द्वारा सभी प्रकार के सभी पट्टों को विशुद्ध रूप से वंशानुगत बना दिया गया और सभी पट्टों ने फिर

"फेटुसिस" का रूप ले लिया। यहां शामिल संपतियों का पहले ही पर्याप्त वर्णन किया जा चुका है। सवाल यह है कि क्या हम उन्हें संपदा मान सकते हैं।

विभिन्न राज्यों के भूमि कानूनों से निपटने वाले इस न्यायालय में कई मामलों में संपदा शब्द पर विचार किया गया है और उन मामलों की टिप्पणियों को संबंधित पक्षों द्वारा इसकी समानता या अनुपस्थिति दिखाने के लिए के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। यह किसी भी स्थिति में विद्वान महान्यायवादी के लिए खुला एकमात्र रास्ता था क्योंकि "संपदा" शब्द विधायी अधिनियमों या नागरिक संहिता में कहीं नहीं पाया जाता है। इसलिए उचित रूप से समझी गयी संपति और पुर्तगाली कानून के तहत प्राप्त अधिकार की प्रकृति के बीच एक समानता स्थापित करने का प्रयास करके समर्थन प्राप्त किया जाना था। हमारे लिए यह स्पष्ट है कि इसे सफलतापूर्वक स्थापित नहीं किया गया है, भारतीय राजस्व कानून में "संपति" का मतलब आम तौर पर उस भूमि के लिए होता है, जिसका अधिकार के रूप में एक ही प्रविष्टि के तहत भू-राजस्व के लिए अलग से मूल्यांकन किया जाता है और ऐसी भूमि एक कार्यकाल के तहत रखी जाती है। रेखा के एक छोर पर ऐसी भूमि एक पूरा गांव या यहां तक कि गांवों का एक समूह भी हो सकती है और दूसरी ओर यह एक गांव का हिस्सा या यहां तक कि एक मात्र जोत भी हो सकती है। इस प्रकार श्री राम नारायण

मेधी बनाम बाॅम्बे राज्य(1) में, 1879 के बाम्बे लैंड रेवेन्यू कोड के 2(5) में परिभाषा पर भरोसा करते हुए असंक्रमित भूमि को भी सम्पदा माना गया। संपदा की परिभाषा भूमि में कोई भी हित और किसी व्यक्ति या उसे धारण करने में सक्षम व्यक्तियों के समूह में निहित ऐसे हितों का समुच्चय के रूप में अलग-थलग और साथ ही गैर-हस्तांतरित भूमि पर समान रूप से लागू होने के लिए निर्धारित किया गया था। उस मामले का पालन किया गया और श्री महादेव पाइकाजी कोल्हे यवतमाल बनाम बाॅम्बे राज्य में लागू किया गया क्योंकि मध्यप्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1954 (1955 का 2) में होल्डिंग को भूमि के एक पार्सल के रूप में परिभाषित किया गया था जिसका मूल्यांकन भू-राजस्व के लिए भूमि स्वामी या भूमिदार के रूप में धारण करने वाले व्यक्ति के रूप में कार्यकाल-धारक को अलग से किया गया था। दूसरे शब्दों में, भूमिस्वामी, जिनमें बरार में कब्जेदारों के रूप में भूमि रखने वाले व्यक्ति शामिल थे, अ को संपति धारक माना जाता था क्योंकि उनके पास भूमि होती थी और वे भू राजस्व का भुगतान करते थे। आत्माराम बनाम पंजाब राज्य में होल्डिंग की परिभाषा एस. पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम 1887 के 3(3) के रूप में एक भूस्वामी द्वारा दो या दो से अधिक भूस्वामियों द्वारा संयुक्त रूप से रखी गयी संपति का एक हिस्सा या अनुच्छेद 31 अ के संरक्षण को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त माना गया था।

हालांकि केके कोचुनी और अन्य में बनाम मद्रास राज्य और अन्य मद्रास मरुमक्कथायम संदेह निवारण अधिनियम, 1955 (1955 का 32) को अनुच्छेद 31 अ के संरक्षण में नहीं माना गया था। क्योंकि इसने किसी भी कृषि सुधार पर विचार नहीं किया या जमींदारों और किरायेदारों के पारस्परिक अधिकारों को विनियमित करने या जनमानस अधिकारों से संबंधित किसी भी अधिकार को संशोधित या समाप्त करने की मांग नहीं की। यह बताया गया कि अनुच्छेद 31 अ का संबंध भूमि स्वामित्व से था जिसे एक संपति के रूप में वर्णित किया जा सकता है और भूमि धारकों या अधीनस्थ किरायेदारों के अधिकारों के अधिगृहण, समाप्ति या संशोधन से सम्बन्धित था। यह कहा गया था कि पेज संख्या 904 के श्री राम नारायण और आत्माराम के मामले इस तर्क का समर्थन नहीं करते है कि अनुच्छेद-31 अ भूमि स्वामित्व के कानून के संदर्भ के बिना भूमि के मालिक के अधिकारों का एक व्यापक संशोधन है।

उपरोक्त व्याख्या को पी वर्जवेलु मुदलियार बनाम विशेष उप कलेक्टर, मद्रास एवं अन्य और एनबी जीजीभाॅय बनाम सहायक कलेक्टर थाना में रणजीत सिंह और अन्य बनाम पंजाब और अन्य के(7) मामले में भी स्वीकार किया गया था। हालांकि अंतिम मामले में कृषि सुधार की अभिव्यक्ति का व्यापक अर्थ दिया गया था।

(1) 1959 पूरक। एससीआर 489.(2) 1962 1 एससीआर 733 (3) 1959 1 पूरक। एससीआर 748 (4) 1960 3 एससीआर 887.(5) 1965 1 एससीआर 614 (6) 1965 1 एससीआर 636 (7) 1965 1 एससीआर 82

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाएगा कि एक संपदा या उसके समकक्ष पाए जाने से पहले ऐसी भूमि होनी चाहिए जो भू राजस्व का भुगतान करती हो और भूमि कार्यकाल से सम्बन्धित कानून के अनुसार निर्धारित की गयी हो। इन याचिकाओं में हम जिन जमीनों को लेकर चिंतित है, उन्हें इस तरह से धारित नहीं कहा जा सकता। न ही उनसे यह कहा जा सकता है कि वे भू-राजस्व का भुगतान करते हैं। जैसा कि हमने देखा दमन जिले में कई प्रकार की भूमि थी। सरकार की ओर से स्थायी और आवधिक पट्टे थे। गांव और जमीनें बेच दी गयीं या जीवन भर के लिए दे दी गयी जो बाद में वंशानुगत संपति बन गयीं। जहां तक सरकार का सवाल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि न तो कोई कार्यकाल था और न ही भू राजस्व का भुगतान था। कोई भी शर्त जिस पर भूमि रखी गयी थी उसे उचित रूप से कार्यकाल को दर्शाने वाली शर्त नहीं कहा जा सकता है और सरकार को भुगतान या तो किराया या भूमि से अनुमानित आय का प्रतिशत पर था। चूंकि सभी भूमि राज्य की थी, पुर्तगाली कानून ने भूमि से निपटने के लिए केवल तीन प्रकार पर विचार किया (अ) स्थायी पट्टे का अनुदान, (ब) अवधि के पट्टे का अनुदान और (स) बिक्री। भू-राजस्व और शहरी या

कृषि संपति की आय पर कर के बीच कोई अंतर नहीं था और कर हर मामले में आय का एक प्रतिशत था। हमारे अधिकार क्षेत्र में हम भू-राजस्व और कृषि आयकर के बीच अंतर करते हैं और यदि कोई समानता पाई जाती है, तो वह कृषि आयकर के पक्ष में मौजूद है। धारक एक प्रकार का आयकर चुका रहे थे जो दूर-दूर तक भू-राजस्व जैसा ही था जैसा कि हम जानते हैं। भले ही इसे भू-राजस्व के रूप में माना जाये, लेकिन इतना स्पष्ट है कि भूमि के स्वामित्व का कोई कानून नहीं था, क्योंकि सभी संपति, शहरी या कृषि, पट्टे पर या खरीद के माध्यम से मालिक के रूप में रखी गयी थी। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि अभिव्यक्त संपति का दमन जिले में कोई समकक्ष है।

बात यहीं खत्म नहीं होती, अनुच्छेद-31 अ में संपति की परिभाषा भी समावेशी है और इसमें तीन अन्य संस्थायें भी शामिल हैं। अब हम पहले दो पर विचार करेंगे। परिभाषा में सबसे पहले कोई भी जागीर, इनाम या मुआफी या अन्य समान अनुदान और दूसरा रैयतवाड़ी बंदोबस्त के तहत रखी गयी कोई भी भूमि शामिल है। दूसरे को हमें बांधने की जरूरत नहीं है क्योंकि दमन जिले में कोई रैयतवारी बंदोबस्त या कार्यकाल नहीं था। हालांकि, पहला विचार का पात्र है। बेडेन पा ॅवेल द्वारा जागीर को एक विशिष्ट सेवा के लिए किसी क्षेत्र के भू-राजस्व के कार्यभार के रूप में परिभाषित किया गया था, जिसमें भूमि के अधिकार के साथ या उसके

बिना अधिकार शामिल था और इनाम को भूमि में अधिकार के साथ भू-राजस्व से मुक्त या आंशिक रूप से मुक्त जोत के रूप में परिभाषित किया गया था। ब्रिटिश भारत में भूमि व्यवस्था खंड 1 पृष्ठ 189 और खंड 3 पृष्ठ 81 और 140 देखें। पुर्तगाली भारत में देसाई इनाम थे जो 1880 के देसाई विनियमन द्वारा विनियमित थे लेकिन दमन में देसाई विनियमन लागू नहीं होता था। गोवा, दमन और दीव के लिए 1917 की डिक्री संख्या 3612 भूमि की रियायतों से सम्बन्धित थी, जैसा कि एक गवाह ने बताया कि अनुच्छेद-31 अ अपेक्षित अनुदान के समान थी। सवाल यह है कि क्या हमारे समक्ष दायर याचिकाओं में से किसी भी गांव को वंचित किया जा सकता है? अनुदान के रूप में प्रस्तावित किया गया ताकि उनके विरुद्ध की गयी कार्रवाई अनुच्छेद के संरक्षण में आ सके। इस अर्थ में रेगुनवारा और धोलेर धोनोली की बिक्री को जागी, इनाम या इसी तरह का अनुदान नहीं कहा जा सकता है। वे अनुदान या रियायत के तत्व के बिना अचल संपति की शुद्ध बिक्री थी। हालांकि, वरकुंडा के सम्बन्ध में एक भेदभाव था। यहां गांव को एक अरबी घोड़ा के पालन-पोषण के लिए अनुदान दिया गया था। यह सर्वविदित है कि मुगल काल में एक निश्चित संख्या में घुड़सवारों के भरण-पोषण के लिए अनुदान दिया जाता था और इस अनुदान के पीछे का विचार भी यही प्रतीत होता है, हालांकि सेवा की शर्त को केवल प्रतीकात्मक बना दिया गया था। यह अनुदान लगातार तीसरे जीवन के बाद फिर से

शुरू किया जाना था लेकिन संहिता द्वारा अवधि पट्टे को स्थायी बना दिया गया था। अनुच्छेद के शब्द कोई जागीर, इनाम या मुआफी या अन्य समान अनुदान संभवतः इस अनुदान को आवरित करेंगे, हालांकि भूमि राजस्व के मामले में कोई रियायत नहीं दिखती है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह गांव को तीन जन्मों तक अपने पास रखने के अधिकार के अलावा बिना किसी रियायत के एक शुद्ध सेवा अनुदान है। यद्यपि, अन्य समान अनुदान शब्दों को जागीर, इनाम और मुआफी शब्दों के साथ ईजसडेम जेनेरिस समझा जाना चाहिए और पूर्ववर्ती सामान्य शब्द भूमि राजस्व में किसी प्रकार की रियायत का संकेत देते हैं, हम बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि वरकुंडा पर कब्जा नहीं किया गया था इकबालियां शर्ते यदि ऐसा होता तो इस गांव के विरुद्ध कार्रवाई निश्चित रूप से अनुच्छेद 31 अ द्वारा संरक्षित होती। साक्ष्यों के आधार पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने में कुछ कठिनाई हो रही है, यद्यपि सभी संकेत यही है कि गांव अनुदानित था।

हालांकि विचार करने के लिए संपति की परिभाषा में अंतिम खंड है और वह खंड कहता है कि संपदा शब्द में कृषि प्रयोजनों के लिए या बंजर भूमि, वन भूमि सहित उसके सहायक प्रयोजनों के लिए रखी या किराये पर दी गयी कोई भी भूमि शामिल होनी चाहिए। चारागाह के लिए भूमि या भूमि पर खेती करने वालों, खेतिहर मजदूरों और गांव के कारीगरों द्वारा कब्जा की गयी इमारतों और अन्य संरचनाओं के स्थल जिन गांवों से

हमारा सम्बन्ध है वे सभी कृषि प्रधान गांव थे। रेगुनवारा को खेती को प्रोत्साहित करने के लिए बेचा गया था क्योंकि विक्रय पत्र पर स्पष्ट रूप से ऐसा कहता है। इसी तरह के विचार अन्य गांवों से भी जुड़े हुए हैं, चाहे वरकुंडा के अनुदान की तरह घोड़े के रखरखाव के लिए दिया गया हो या कुछ अन्य मामलों की तरह दमन जिले में बुनकरों और कारीगरों के निस्तारण के लिए दिया गया हो। इस तथ्य के बावजूद कि एक गांव को एक इकाई माना जाना चाहिए, इस तथ्य के बावजूद कि बिक्री कार्यों और अन्य दस्तावेजों में भूखंडों का उल्लेख है, हमें इस पर विचार करना चाहिए कि क्या गांवों की भूमि समावेशी परिभाषा के भीतर आ सकती है। वे ऐसा करते हैं, यह अपरिहार्य है क्योंकि सभी गांवों में अधिकांश भूमि, जिसको स्वामित्व कई याचिकाकर्ताओं के पास था या तो कृषि या चारागाहों के लिए समर्पित थी। हालांकि हमारे सामने यह दिखाने का प्रयास किया गया था कि गांवों के कुछ हिस्से तीसरे खंड द्वारा विस्तारित संपदा की परिभाषा का उतर नहीं देते थे और नमक मैदान, बजरी के गड्ढे, खदानों और पहाड़ियों का विशेष उल्लेख किया गया था। दूसरी ओर यह तर्क दिया गया कि दमन में देहाती संपति की अवधारणा ऐसी थी कि इसमें खदानों और बंजर भूमि को भी शामिल माना जाता था। संपति योगदान से सम्बन्धित विधायी अधिनियम को यह दिखाने के लिए संदर्भित किया गया था कि चारागाहों सहित खदानों और बंजर भूमि को समान रूप से देहाती संपति

माना जाता था। हालांकि नमक मैदान का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन यह प्रस्तुत किया गया था कि इन्हें देहाती सम्पति में शामिल किया जाएगा, जब तक कि संपदा योगदान औद्योगिक के सम्बन्ध में देय न हो और इस मामले में कोई सबूत नहीं था कि औद्योगिक संपदा योगदान किया जा रहा था। जो उनके लिए भुगतान किया।

> "भूमि की परिभाषा, अनुच्छेद 31 अ से ज्यादा विनियम की धारा 2(जी) में "संपदा" की परिभाषा से अधिक व्यापक है। जैसा कि 17 वें संशोधन द्वारा पेश किया गया। प्रश्न यह है कि क्या हम भूमि की परिभाषा का उपयोग संपदा की प्रतिबंधित परिभाषा के दायरे में भूमि की सभी श्रेणियों को शामिल करके कर सकते हैं। हमारी राय में हम नहीं कर सकते, एक पक्ष रोमेश थापर के मामले(1) पेज 603 में इस न्यायालय के फैसले पर एकतरफा भरोसा नहीं किया जा सकता। "..... जहां एक कानून व्यापक भाषा में मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाने को अधिकृत करने का इरादा रखता है इस तरह के अधिकार को प्रभावित करने वाली संवैधानिक रूप से अनुमत विधायी कार्रवाई की सीमाओं के भीतर और बाहर दोनों ही प्रतिबंधों को आवरित करने के लिए पर्याप्त है, इसे बरकरार रखना संभव नहीं है,

यहां तक कि इसे संवैधानिक सीमाओं के भीतर लागू किया जा सकता है, क्योंकि यह विच्छेदनीय नहीं है। जब तक संभावना है इसे संविधान द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए उद्देश्यों के लिए लागू किए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है, इसे पूरी तरह से असंवैधानिक और शून्य माना जाना चाहिए।

दूसरा पक्ष आरएमडी चमारबागवाला बनाम भारत संघ(2) के फैसले पर निर्भर करता है जहां पृथक्करणीयता के सिद्धांत को श्री न्यायमूर्ति वेंकटराम अय्यर द्वारा समझाया गया था। अंतिम उद्धत मामले में सात सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं, जिन पर संवैधानिक प्रावधान मौलिक अधिकार सहित के साथ आंशिक रूप से भिन्नता वाले कानून के प्रावधान को शेष भाग के सम्बन्ध में खड़े होने की अनुमति दी जा सकती है, यदि इसके संचालन को प्रभावित किए बिना अपमानजनक भाग को अलग किया जा सकता है। पृथक्करणीयता का सिद्धांत इस प्रकार सीमित शक्ति वाले विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित कानूनों पर लागू किया जाता है जो आंशिक रूप से विधानमंडल की विधायी क्षमता के भीतर और आंशिक रूप से बाहर होते हैं। यह बताया गया है कि इस विवाद का कोई आधार नहीं है कि सिद्धांत केवल तभी लागू होता है जब विधानमंडल कानून की विषय-वस्तु के सम्बन्ध में अपनी शक्तियों से अधिक होता है, न कि तब जब यह

संवैधानिक निषेध का उल्लंघन करता है। रामेश थापर(1) के मामले को उसी तरह से प्रतिपादित किया गया था जैसे बाॅम्बे राज्य बनाम एफएन बुलसारा(3) में परिणामी स्थिति इस प्रकार बताई गयी है-

(1) 1950 एससीआर 594

(2) 1951 एससीआर 682

(3) 1957 एससीआर 930

जब कोई कानून आंशिक रूप से शून्य है, तो इसे बाकी के सम्बन्ध में लागू किया जाएगा, यदि वह जो अमान्य है उससे अलग किया जा सकता है। इस नियम के प्रयोजन के लिए यह महत्वहीन है कि क्या कानून की अमान्यता इसके कारण उत्पन्न होती है। विषय-वस्तु विधायिका की क्षमता से बाहर है या उसके प्रावधानों के कारण संवैधानिक निषेधों को उल्लंघन करती है।

यह प्रश्न फिर से अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ बनाम राम मनोहर लोहिया में उठा, जहां दो अलग-अलग दृष्टिकोण देखे गए लेकिन कोई राय व्यक्त नहीं की गयी क्योंकि उस समय जिस धारा पर विचार किया गया था उसे आपतिजनक हिस्से को हटाने के बाद भी बचाया नहीं जा सका। चमारबागवाला के मामले के अलावा विद्वान महान्यायवादी ने

हमारा ध्यान हिन्दू महिला संपति अधिकार अधिनियम, 1937 और हिंदू महिला संपति अधिकार संशोधन अधिनियम, 1938 आदि और पंजाब प्रांत बनाम दौलत सिंह और अन्य(4) की ओर भी आकर्षित किया। पूर्व मामले में ग्वायर सीजे ने कहा कि ऐसी धारणा है कि विधानमंडल अपनी शक्तियों के भीतर कार्य करने का इरादा रखता है और उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले सामान्य शब्दों को केवल उसकी शक्तियों के भीतर काम करने के इरादे के रूप में समझा जाना चाहिए और विधानमंडल सामान्य शब्दों को पढ़ा जाना चाहिए ताकि विधानमंडल की शक्तियों के चारों कोनों में लागू किया जा सके।

वर्तमान मामले में कठिनाई यह है कि सभी संवैधानिक पूर्वव्यापी प्रभाव से आये हैं। 17 वां संशोधन अनुच्छेद 31 ए 26 जनवरी, 1950 से पूर्वव्यापी संशोधनों के साथ स्थान लेता है। इसलिए अनुच्छेद 31 अ को 17 वें संशोधन द्वारा इंगित तरीके के अलावा किसी भी तरीके से पढ़ना संभव नहीं है। यह कहना भी संभव नहीं है कि भारत गणराज्य के 13 वें वर्ष में राष्ट्रपति को यह अनुमान था कि गणतंत्र के 15 वें वर्ष में संसद संविधान में पूर्वव्यापी रूप से क्या पेश करेगी। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्रपति को 1962 में अपनी शक्ति की सीमाओं का ज्ञान था जब उन्होंने विनियमन बनाया था और इसे अनुच्छेद 31 अ में ''संपदा'' की परिभाषा के अनुरूप बनाया था। इस संबंध में विनियम में ''भूमि'' की परिभाषा की

तुलना ''संपदा'' की परिभाषा से करना संभव नहीं है जैसा कि अनुच्छेद के पुराने संस्करणों में दिया गया है। 31 अ क्योंकि सत्रहवें संशोधन के बल पर अनुच्छेद का पिछला संस्करण पूरी तरह से गायब हो जाता है और कहा जा सकता है कि यह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। इसलिए, परिणाम यह है कि विनियमन में ''भूमि'' की परिभाषा ''संपदा'' की परिभाषा से भिन्न होने के कारण इसके साथ नहीं टिक सकती। लेकिन चूंकि यह विच्छेदीय है, यह विनियम के संचालन को प्रभावित नहीं करता है जो कि अनुच्छेद 31-अ(1) के संरक्षण के अलावा संचालित होगा।

ख्1960, 2 एससीआर 821 के संबंध में उपलब्ध नहीं होगा। (2) ख्1957, एससीआर 930। (3) ख्1941, एफसीआर 12, (4) ख्1946, एफसीआर 1.

भूमि का अधिकार पूरी तरह से अनुच्छेद 31 अ की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं है। दूसरे शब्दों में, ''भूमि'' में प्रत्येक वर्ग या श्रेणी की भूमि शामिल नहीं होगी, बल्कि केवल कृषि भूमि, खेतिहर मजदूर और गांव के कारीगर या उसके सहायक परियोजनाओं के लिए धारित या पट्टे पर दी गयी भूमि शामिल होगी, जिसमें बंजर भूमि, चारागाहों के लिए वन भूमि या इमारतों के स्थल और किसानों द्वारा कब्जा की गयी अन्य संरचनाएं शामिल होंगी। जो भूमि इस विवरण का उत्तर नहीं देती, वह अनुच्छेद 14, 19 और 31 की आलोचना से सुरक्षित नहीं है और यह इस दृष्टिकोण से है

कि हमारे सामने याचिकाकर्ताओं के मामलों की जांच की जानी चाहिए जहां अनुच्छेद-31।;2द्ध;ंद्ध;पपपद्ध में बतायी गयी भूमि के अलावा अन्य श्रेणियों का उल्लेख किया गया है।

उपरोक्त विचारों को याचिकाओं पर लागू करने पर हमारे निष्कर्ष इस प्रकार हैं: 1962 की रिट याचिका संख्या 148/1962 में वर्तमान याचिकाकर्ता ग्राम रेगुनवारा का मूल क्रेता है। गाँव उन्हें खेती के लिए बेच दिया गया था और इसे कृषि उपयोग में लाया गया है, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि 334 एकड़ में से 320 एकड़ पर खेती की जाती है। शेष 14 एकड़ जमीन सड़कों आदि का प्रतिनिधित्व करती है। इस स्थिति में यह स्पष्ट है कि गांव ''संपदा'' की परिभाषा में आएगा जैसा कि हमने ऊपर बताया है। इसलिए 1962 की रिट याचिका 148 विफल होनी चाहिए। लेकिन बिना किसी लागत के इसे खारिज़ कर दिया जाएगा .

1962 की रिट याचिका संख्या 149।

यह याचिका डुंडोर्टा गांव से संबंधित है। वर्तमान याचिकाकर्ता मूल अनुदान प्राप्तकर्ता का उत्तराधिकारी है। इस गांव में 152 एकड़ (सरकार के अनुसार 30) पहाड़ी भूमि और पत्थर की खदानें, 225 एकड़ नमक भूमि और नमक के खेत (सरकार के अनुसार 32 एकड़) हैं। बाकि जमीन काश्तकारों के पास है। हम यह मानेंगे की पहाड़ी भूमि, नमक के मैदानों

और नमक की भूमि और खदानों के मामले को छोड़कर गांव का स्वामित्व समाप्त हो जाता है और विनियमन उस पर लागू होता है। उनकी सीमा क्या है, यह इसके बाद निर्धारित करना होगा। उनके लिए मुआवज़ा, यदि अर्जित किया जाता है, तो उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए और विनियम में दिए गए विचारों के अलावा अन्य विचारों पर दिया जाना चाहिए। इन टिप्पणी के साथ हम इस याचिका को भी खारिज देंगे लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देंगे।

1962 की रिट याचिका संख्या 233।

इस याचिका में पूरे गांव को सार्वजनिक नीलामी में खरीदा गया था और ऐसा प्रतीत होता है कि गांव की पूरी जमीन कृषि या बागवानी उद्देश्यों के लिए समर्पित है। इस मामले को ध्यान में रखते हुए विस्तारित परिभाषा में ढ़ोलेर धोनोली गांव शामिल है। इसलिए, यह याचिका विफल होनी चाहिए, लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना इसे खारिज कर दिया जाएगा,

1962 की रिट याचिका 238।

इस याचिका में हमारा संबंध वरकुंडा गांव से है। यहाँ भी 100 एकड़ नमक भूमि और नमक क्षेत्र (सरकार के अनुसार 66 एकड़) और 30 एकड़ पहाडियाँ और खदानें (सरकार द्वारा अस्वीकृत) हैं। डुंडोर्टा गांव के संबंध में

हमने जो कहा है वह यहां भी लागू होता है और नमक भूमि और मैदान और पहाड़ियों और खदानों के संबंध में की गयी हमारी टिप्पणियों के अधीन, लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना याचिका खारिज कर दी जाएगी।

1963 की रिट याचिका संख्या 216

यह रिट याचिका क्रमांक 216/1963 पर विचार के लिए छोड़ दिया गया है। यह गांव कैटरिया मोरे से संबंधित है। मूल मालिक ने इसे 1876 में खरीदा था और उसी वर्ष इसे वर्तमान याचिकाकर्ताओं के पूर्ववर्तियों को बेच दिया था। 16 मई, 1949 के नगरपालिका कानून (पोस्टुरा) द्वारा दमन नगर पालिका की स्थापना की गयी और इसके अधिकार क्षेत्रों का निर्धारित किया गया। इसमें मूल अनुदान से लगभग 100 एकड़ जमीन शामिल थी। इस क्षेत्र में बाज़ार और कब्रिस्तान सहित 600 घर हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह ''संपदा'' के अन्तर्गत नहीं आ सकता। याचिकाकर्ता इस दलील में सही हैं। इन क्षेत्रों को 'संपदा' शब्द के अन्तर्गत शामिल करना संभवन नहीं है क्योंकि यह शब्द केवल अपने कार्यकाल के अनुसार ही संचालित होता है, इससे आगे नहीं होता। इसलिए, 1963 की रिट याचिका 216 को इस घोषणा के साथ खारिज कर दिया जाएगा कि नगरपालिका क्षेत्र विनियमन और अनुच्छेद 31ए(2) के तहत सरकार में निहित नहीं है। इस विनियोजन को अपनी सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। इसलिए, भूमि के

इस हिस्से के लिए मुआवजे का निर्धारण विनियमन में बताए गए विचारों के अलावा अन्य विचारों पर किया जाना होगा। इस याचिका में लागत को लेकर भी कोई आदेश नहीं होगा।

रिट याचिकाएं निर्देशों के साथ खारिज कीं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी पूर्णिमा गौड़ (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।